आपके आदर्श एवं प्रेरणा
सदैव हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगें

श्री कैलाश चन्द बैद

जिनके परिश्रम और सिद्धान्तों ने परिवार व व्यवसाय को नई ऊचाइयां दी

सातवीं पुण्यतिथि पर
सादर नमन

श्रद्धानवत :
बैद परिवार (बडियाल वाले)

रिषभ एडवरटाईजिंग एजेन्सी
राजस्थान एडवरटाईजिंग एजेन्सी
9829051564, 9414058011

बीजेपी के दबाव में काम कर रहे निर्वाचन अधिकारी : पूर्व मंत्री शांति धारीवाल

■ जिला निर्वाचन अधिकारी से विधायक शांति धारीवाल के नेतृत्व में मिला प्रतिनिधि मंडल

कोटा, (निसं)। विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया को लेकर पूर्व मंत्री एवं कोटा उत्तर विधायक शांति धारीवाल ने निर्वाचन अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। धारीवाल ने कहा कि निर्वाचन अधिकारी बीजेपी सरकार के दबाव में काम कर रहे हैं और कांग्रेस समर्थक मतदाताओं के नाम काटने की सुनियोजित तैयारी की जा रही है।

उन्होंने दावा किया कि हजारों लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाने की प्रक्रिया चल रही है, जो पूरी तरह नियमों के खिलाफ है। धारीवाल के नेतृत्व में कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल जिला निर्वाचन अधिकारी से मिला। इस दौरान जिला कांग्रेस अध्यक्ष राखी गौतम, पीपल्दा विधायक चेतन पटेल मौजूद रहे। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में धारीवाल ने कहा कि निर्वाचन अधिकारी उनसे उठाए गए सवालों जवाब नहीं दे पाए, जिससे पूरी प्रक्रिया पर संदेह और गहरा रहा है।

पूर्व मंत्री विधायक शांति धारीवाल ने आरोप लगाया कि बीजेपी से जुड़े बीएलओ को बुलाकर नियमों की अवहेलना करते हुए हजारों फार्म भरवाए गए। नियम स्पष्ट है कि एक दिन में एक बीएलओ अधिकतम 10 फार्म ही ले सकता है लेकिन यहां एक ही दिन में सैकड़ों और हजारों फार्म लिए गए। यह सीधे तौर पर चुनावी प्रक्रिया में धांधली का संकेत है।

कोटा जिला निर्वाचन अधिकारी से विधायक शांति धारीवाल के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल मिला है।

धारीवाल ने तीन अहम सवाल उठाते हुए कहा कि आपत्ति आने पर रिटर्निंग अधिकारी को 7 दिन के भीतर राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करनी होती है लेकिन ऐसी कोई बैठक नहीं बुलाई गई। दूसरा, एक दिन में 10 से अधिक फार्म नहीं लिए जा सकते, फिर हजारों फार्म कैसे स्वीकार किए गए। तीसरा, किसी भी मतदाता का नाम हटाने से पहले नोटिस देना अनिवार्य है, लेकिन एक भी व्यक्ति को नोटिस नहीं दिया गया।

धारीवाल ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि एक भी मतदाता का नाम गलत तरीके से काटा गया, तो उसे सामने लाकर खड़ा किया जाएगा और बड़ा आंदोलन किया जाएगा।

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि प्रशासन और निर्वाचन तंत्र की मिलीभगत से बीजेपी को फायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। विधायक चेतन पटेल ने भी पीपल्दा विधानसभा समेत अन्य विधानसभा में निर्वाचन विभाग पर मिली भगत का आरोप लगाते हुए कहा कि सिर्फ कांग्रेस के मतदाता के नाम काटने की प्रक्रिया चल रही है बीएलओ पर इतना दबाव है कि वह गलत काम करने पीड़ा बता रहे हैं लेकिन दबाव में एक भी नाम काटा गया तो सड़कों पर आंदोलन होगा। वहीं जिला अध्यक्ष राखी गौतम ने कहा कि नाम काटे जाने पर आंदोलन होगा।

सार-समाचार

श्रीराम कथा गौ माता महोत्सव 23 से

कोटा, (निसं)। आगामी 23 जनवरी से 25 जनवरी 2026 तक रामगंजमंडी के रीको औद्योगिक क्षेत्र फतेहपुर में आयोजित होने जा रही बागेश्वर धाम सरकार के आचार्य पंडित धीरेंद्र शास्त्री की श्रीराम कथा गौ माता महोत्सव को लेकर शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर लगातार रामगंज मंडी में रुक कर तैयारी को अंतिम रूप दे रहे हैं। सोमवार को मंत्री ने प्रात: 11.00 बजे प्राईवेट स्कूल संचालकों की बैठक की तथा उनसे 22 से 25 जनवरी तक कथा आयोजन में सहयोग करने की अपील की। स्कूल संचालकों ने कथा व्यवस्थाओं में पूर्ण रूप से सहयोग देने का आश्वासन दिया। रामगंज मंडी के बाजार नंबर दो में स्थित श्री अग्रसेन अतिथि गृह में आयोजित हुई इस बैठक के तुरंत बाद शिक्षा एवं पंचायतीराज मंत्री मदन दिलावर ने लघु उद्योग भारती, किरण खाद्य व्यापार संघ, भोजन व्यवस्था समिति और कथा संचालन समिति की संयुक्त बैठक ली। तथा व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया। किरण खाद्य व्यापार संघ और लघु उद्योग भारती के बैठक में उपस्थित पदाधिकारी ने मंत्री मदन दिलावर को आश्वासन दिया कि कथा आयोजन पूर्ण रूप से पूर्ण सफल होगा। कथा में किसी तरह की व्यवस्था में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। रामगंजमंडी का व्यापारी पूरी तरह इस आयोजन के साथ खड़ा है और हम हर तरह का हर संभव सहयोग इस कथा के सफल बनाने में करेंगे। बैठक में लघु उद्योग भारती के सुरेश सोमानी, कोटा स्टोन व्यापारी राजू भाई खंडेलवाल, हेमंत काला, जगदीश गुप्ता किराना खाद्य व्यवसाय, भारत जोशी, प्रहलाद धाकड़, भाजपा कोटा देहात की जिला महामंत्री भगवान धाकड़, रामगंजमंडी नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष अखिलेश मेडतवाल, पूर्व वाइस चेयरमैन महेश श्रीवास्तव, कौशल बाफना, कैलाश गौएन, नितिन शर्मा, सुकेत मंडल अध्यक्ष शांतिबाई सहित अन्य प्रमुख व्यापारी एवं कार्यकर्ता व सेवादार उपस्थित थे।

नवोदय विद्यालय में आपदा प्रबंधन पर एसडीआरएफ का प्रशिक्षण कार्यक्रम

रामगंजमंडी, (निसं)। पीएम श्री स्कूल जवाहर नवोदय विद्यालय खैराबाद में सोमवार को कोटा जिले की एसडीआरएफ टीम द्वारा विद्यार्थियों के लिए आपदा प्रबंधन विषय पर एक प्रशिक्षण एवं प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को आपातकालीन परिस्थितियों में सही निर्णय लेने एवं जीवन-रक्षक प्राथमिक उपचार का व्यावहारिक ज्ञान प्रदान करना रहा। प्राचार्य आर के मीणा ने बताया कि एसडीआरएफ टीम द्वारा विद्यार्थियों को बहते हुए रक्त को रोकने की विधियाँ, फ्रैक्चर की स्थिति में प्राथमिक उपचार, दुर्घटना में आँख की पुतली बाहर आ जाने पर आवश्यक सावधानियाँ, सीपीआर देने की सही प्रक्रिया, छोटे बच्चों को सीपीआर देने का तरीका, बच्चों के मुँह में कोई वस्तु फँसने की स्थिति में बचाव के उपाय तथा आग लगने पर आग बुझाने और सुरक्षित बचाव के विभिन्न तरीकों की जानकारी दी गई। कार्यक्रम के दौरान टीम ने सभी विषयों का लाइव डेमोंस्ट्रेशन प्रस्तुत किया तथा विद्यार्थियों से प्रायोगिक अभ्यास भी करवाया। जिससे वे आपदा की स्थिति में घबराने के बजाय सही तरीके से प्रतिक्रिया दे सकें। विद्यार्थियों ने पूरे उत्साह के साथ गतिविधियों में भाग लिया और प्रशिक्षण को अत्यंत उपयोगी बताया।

मादक पदार्थ तस्करी में महिला गिरफ्तार

भवानीमंडी, (निसं)। मादक पदार्थ तस्करी में एक महिला गिरफ्तार, आरोपी के कब्जे से 9 किलो 600 ग्राम अवैध मादक पदार्थ डोडा-चूरा बरामद कर महिला को गिरफ्तार किया। आरोपी महिला, लुधियाना के शास्त्री नगर जगराओ की निवासी बताई गई है। प्रमोद कुमार पुनि थानाधिकारी पुलिस थाना भवानीमंडी ने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक अमित कुमार के दिशा निर्देश पर मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ चलाये जा रहै अभियान के तहत मय जाप्ता द्वारा अवैध कार्यों की चैकिंग व रोकथाम व दौराने गश्त के रेल्वे स्टेशन के पास पीली कोठी भवानीमण्डी से एक महिला को डिटेन कर डिटेनशुदा महिला की हमराह महिला पुलिस द्वारा तलाशी से 9 किलो 600 ग्राम डोडाचूरा को जप्त कर महिला मुलजिम को गिरफतार किया जाकर महिला मुलजिम के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धाराओ में प्रकरण दर्ज कर जाँच शु कर दी है गिरफ्तार आरोपी महिला मंजू उर्फ प्रीति लुधियाना के शास्त्री नगर जगराओ की निवासी है।

डॉ. सुरेश पाण्डेय ने माघ मेले में की 300 साधु-संन्यासियों निःशुल्क नेत्र जांच की

कोटा, (निसं)। प्रयागराज की पावन धरती पर माघ मेले के दौरान मौनी अमावस्या के पवित्र अवसर पर आस्था और सेवा का एक अद्भुत संगम देखने को मिला। जब संगम तट पर लाखों श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे थे, तब कोटा के सुप्रसिद्ध नेत्र सर्जन, लेखक और मोटिवेशनल स्पीकर डॉ. सुरेश पाण्डेय ने अपनी टीम के साथ मिलकर भक्ति को मानव सेवा का रुप दिया। प्रयागराज की पावन भूमि पर महंत बालक दास महाराज के शिविर में आयोजित इस विशाल निशुल्क नेत्र जांच एवं जाग कता शिविर में सुवि नेत्र चिकित्सालय कोटा के नेत्र सर्जन डॉ. सुरेश पाण्डेय ने लगभग 300 साधु-संन्यासियों और कल्पवासियों का गहन नेत्र परीक्षण किया और उन्हें नि:शुल्क आई-ड्रॉप्स वितरित किए।

नोटरीज के अधिकारों को कम करने के खिलाफ वकीलों ने ज्ञापन दिया

कोटा, (निसं)। राजस्थान सरकार द्वारा केन्द्रीए नोटरीज अधिनियम 1952 के द्वारा नियुक्ति नोटरियों को दिये गये अधिकारों को कम करने के मामले में उन्हे वापस बहाल करने की मांग को लेकर कोटा बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भारत सिंह अडसेला के नेतृत्व में वकीलों ने कोटा कलेक्टर को ज्ञापन दिया।

ज्ञापन के माध्यम से कोटा बार एसोसिऐशन ने सरकार से मांग की है कि राजस्थान मे कार्यरत सभी नोटरियों को विधिक रूप से दिये गये दस्तावेज प्रमाणिकरण के अधिकारों को प्रतिबंधित नहीं करें पूर्ववत: बहाल करें और रजिस्ट्रेशन नियम 2025 के संशोधन को भी इस मामले मे स्थगित करें और नोटरी द्वारा सभी दस्तावेजात के प्रमाणितकरण को विधि सम्मत स्वीकार करने की घोषणा सार्वजनिक रूप से करें। ज्ञापन देने वालों में अभिभाषक परिषद के अध्यक्ष भारत सिंह अडसेला, महासचिव शम्भू सोनी, नोटेरी समिति संरक्षक अख्तर खान अकेला, नोटेरी अध्यक्ष रमेश कुशवाहा, सलीम मोहम्मद खान, अभिषेक पाठक, मधु शर्मा, सीमा मालवीय, रघुनन्दन गौतम, महेश शर्मा, अब्दुल सलाम खान, ऋषिराज नागर, पिंकी शर्मा सहित कई वकील साथी उपस्थित थे।

विधायक ने विकास कार्यों का लोकार्पण व शिलान्यास किया

छबड़ा (निसं)। पालिका प्रशासन को नगर की सफाई व्यवस्था पर विशेष देने की आवश्यकता हैं, क्योकि यदि पालिका सफाई के प्रति गंभीर व सख्त होगी तो आमजन भी इसका अनुसरण करते हुए गंदगी नही फैलाएगा। वहीं किसी भी स्थिति में पालिका भूमि पर अतिक्रमण नही होना चाहिए। बाद में अतिक्रमण हटाते समय नाराजगी का सामना करना पड़ता हैं। यह उद्गार विधायक प्रतापसिंह सिंघवी ने सोमवार को पालिका द्वारा कराए गए पांच करोड़ रूपए के विकास कार्यों के लोकार्पण व शिलान्यास समारोह में व्यक्त किए।

उन्होने कहा कि भाजपा द्वारा समय समय पर आमजन की मांग व सुविधानुसार विकास कार्यों को किया जाता रहा हैं। सालपुरा रोड पर नगर के अम्बेडकर सर्किल से बावड़ीखेड़ा तिराहे तक 200 फीट चौड़ा रोड मय डिवाइडर, कटिखंडी के निकट धरनावदा रोड से मालियो के श्मशान तक 100 फीट चौड़ा रोड 5 करोड़ की लागत से एवं सालपुरा रोड से वार्ड एक में पानी की टंकी तक 80 फीट रोड मय नाला निर्माण 7.50 करोड की लागत से किए जाने के लिए मुख्यमंत्री बजट घोषणा के लिए प्रस्तावित किया गया हैं। मुख्यमंत्री बजट घोषणा में स्वीकृति मिलने के साथ ही इन कार्यों को प्रारंभ कर दिया जाएगा। 125 करोड़ की लागत से बनने वाले स्टेडियम की निविदाएं भी प्रक्रियाधीन है। कुंभराज रोड पर रेतीली नदी पर निर्माणाधीन पुलिया के चलते आमजन को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा है। इसके चलते नदी दरवाजे से कुंभराज रोड तक सड़क चौडीकरण के तीन करोड़ रूपए का प्रस्ताव लिया गया हैं।

कोटा ओपन शतरंज प्रतियोगिता शुरू

कोटा, (निसं)। जिला शतरंज संघ के तत्वावधान मे कोटा ओपन शतरंज प्रतियोगिता सनाढ्य ब्राह्मण समाज सभागार में को आयोजित की गई। टूर्नामेंट का उद्घाटन सनाढ्य ब्राह्मण समाज महावीर नगर के अध्यक्ष ओम प्रकाश टंकारिया, जे.सी.आई. कोटा स्टार के अध्यक्ष तनुज खण्डेलवाल द्वारा किया गया। मंच संचालन ईश्वर शर्मा द्वारा किया गया।

मुक्तिधाम से अस्थियां चोरी

कोटा, (निसं)। नयापुरा इलाके में स्थित मुक्तिधाम से अस्थियां चोरी होने का मामला सामने आया है, सोमवार को मृतका के परिजन जब तीये की रस्म के लिये मुक्तिधाम पहुंचे तो परिजनों को कुछ अस्थियां गायब मिली। पूर्व में भी दो बार नयापुरा मुक्तिधाम से अस्थियां चोरी होने का मामला सामने आ चूका है। जानकारी के अनुसार 70 वर्षीय महिला का 17 जनवरी को निधन होने पर अंतिम संस्कार किया गया, मृतका के परिजन सोमवार को तीये की रस्म के लिये मुक्तिधाम पहुंचे तो मौके पर परिजनों को कुछ अस्थियां गायब मिली।

एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड
(ए शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक)
रजिस्टर्ड ऑफिस: 19-A, धुलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड, जयपुर-302001 (CIN:L36911RJ1996PLC011381)

परिशिष्ट IV (देखें नियम 8 (1) कब्जा सूचना)

जबकि, अधोहस्ताक्षरकर्ता एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड (ए शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक) का प्राधिकृत अधिकारी होते हुए ''वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13 प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियम, 2002 का सपठित नियमों के तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में मांग सूचना पत्र दिनांक 31/10/2025 को संदर्भ संख्या CB/SAR/13-2/BB/OCT-2025/12 **ऋण खाता संख्या: 9001220317062362** निर्गमित की जिसमें माँग करते हुए ऋणी/ जमानतदार/ बंधककर्ता **श्री मोहम्मद याकिन पुत्र श्री मोहम्मद राशिद (ऋणी/बंधककर्ता), श्री मोहम्मद नफीस पुत्र श्री मोहम्मद रफीक (जमानतदार), श्रीमती कहकशन पत्नी श्री मोहम्मद याकिन (जमानतदार/बंधककर्ता)** के लिए **ऋण खाता संख्या 9001220317062362 के लिए रूपये 17,69,127/- (रूपये सत्रह लाख उनहत्तर हजार एक सौ सत्ताईस मात्र) दिनांक** 31.10.2025 तक कुल देय (जिसमे शामिल मूलधन, ब्याज, पेनल्टी एवं अन्य शुल्क) सम्पूर्ण बकाया राशि के भुगतान तक भविष्य का ब्याज व शुल्क अतिरिक्त की राशि इस नोटिस की प्राप्ति की दिनांक से 60 दिनों के भीतर चुकाने के लिये कहा गया था।

ऋणी/बंधककर्ता के वह राशि लौटाने में विफल होने पर ऋणी/ बंधककर्ता एवं समान्यजन को एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) तथा सपठित उक्त नियम 8 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में एतस्मिन नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा **17 जनवरी 2026** को अधिग्रहण कर लिया है।

ऋणियों का ध्यान प्रतिभूत आस्तियों के मोचन के लिये उपलब्ध समय के सन्दर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के उपबंधों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

ऋणी/जमानतदार/बंधककर्ता को विशिष्टतया और सर्वसाधारण को सामान्यतया एतद् द्वारा सम्पत्ति के साथ व्यवहार नहीं करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्ति के साथ कोई व्यवहार के लिए **ऋण खाता संख्या 9001220317062362 के लिए रूपये 18,16,799/- (रूपये अठारह लाख सोलह हजार सात सौ निन्यानवे मात्र) दिनांक 07-जनवरी-2026** तक सम्पूर्ण बकाया राशि के भुगतान तक भविष्य का ब्याज व शुल्क अतिरिक्त की राशि एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा।

स्थावर सम्पत्ति का विवरण

1. सम्पत्ति के सभी अभिन्न अंग, स्थित पट्टा नं. 6857 (खसरा नं. 727) के लिए आवासिय सम्पत्ति **एरिया = 77X35 = 2695.00 वर्ग फीट,** स्थित ग्राम सुकेत, तहसील रामगंज मंडी, जिला कोटा, राजस्थान, जो कि **श्री मोहम्मद याकीन** के स्वामित्व में है।
पूर्व : स्वयं का मकान | पश्चिम : सड़क
उत्तर : कहकशन का मकान | दक्षिण : जाफर उल्लाह का मकान
2. सम्पत्ति के सभी अभिन्न अंग, स्थित पट्टा नं. 6856 (खसरा नं. 727) के लिए आवासिय सम्पत्ति **एरिया = 77X35 = 2695.00 वर्ग फीट,** स्थित ग्राम सुकेत, तहसील रामगंज मंडी, जिला कोटा, राजस्थान, जो कि **श्रीमती कहकशन** के स्वामित्व में है।
पूर्व : स्वयं का मकान | पश्चिम : सड़क
उत्तर : मकसूद का मकान | दक्षिण : मोहम्मद याकीन का मकान
3. सम्पत्ति के सभी अभिन्न अंग, स्थित पट्टा नं. 23400 (खसरा नं. 566) के लिए आवासिय सम्पत्ति **एरिया = 35X65 = 2275.00 वर्ग फीट,** स्थित ग्राम सुकेत, तहसील रामगंज मंडी, जिला कोटा, राजस्थान, जो कि **श्रीमती कहकशन** के स्वामित्व में है।
पूर्व : जब्बार व रफीक का मकान | पश्चिम : सड़क
उत्तर : सोकत ड्राइवर का मकान | दक्षिण : मोहम्मद याकीन का मकान
4. सम्पत्ति के सभी अभिन्न अंग, स्थित पट्टा नं. 23399 (खसरा नं. 566) के लिए आवासिय सम्पत्ति **एरिया = 35X65 = 2275.00 वर्ग फीट,** स्थित ग्राम सुकेत, तहसील रामगंज मंडी, जिला कोटा, राजस्थान, जो कि **श्री मोहम्मद याकीन** के स्वामित्व में है।
पूर्व : जब्बार व रफीक का मकान | पश्चिम : सड़क
उत्तर : कहकशन का मकान | दक्षिण : जाफर उल्लाह का मकान

दिनांक: 17 जनवरी 2026 — **प्राधिकृत अधिकारी**
स्थान : कोटा, राजस्थान — **एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड**

एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड
(ए शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक)
रजिस्टर्ड ऑफिस: 19-A, धुलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड, जयपुर-302001 (CIN:L36911RJ1996PLC011381)

परिशिष्ट IV (देखें नियम 8 (1) कब्जा सूचना)

जबकि, अधोहस्ताक्षरकर्ता एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड (ए शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक) का प्राधिकृत अधिकारी होते हुए ''वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13 प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियम, 2002 का सपठित नियमों के तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में मांग सूचना पत्र दिनांक 31/10/2025 को संदर्भ संख्या CB/SAR/13-2/BB/OCT-2025/11 **ऋण खाता संख्या: 1921224922523973,** 9001220321056583, 9001222621124106 निर्गमित की जिसमें माँग करते हुए ऋणी/ जमानतदार/ बंधककर्ता **मेसर्स हाजरे स्टोन जरिए पार्टनर श्री मोहम्मद याकिन व श्री मोहम्मद नफीस (ऋणी), श्री मोहम्मद याकिन पुत्र श्री मोहम्मद राशिद (जमानतदार/बंधककर्ता), श्री मोहम्मद नफीस पुत्र श्री मोहम्मद रफीक (जमानतदार), श्रीमती कहकशन पत्नी श्री मोहम्मद याकिन (जमानतदार/बंधककर्ता)** के लिए **ऋण खाता संख्या 1921224922523973 के लिए रूपये 1,07,13,466/- (रूपये एक करोड़ सात लाख तेरह हजार चार सौ छियासठ मात्र) व ऋण खाता संख्या 9001220321056583 के लिए रूपये 7,29,964/- (रूपये सात लाख उनतीस हजार नौ सौ चौंसठ मात्र) व ऋण खाता संख्या 9001222621124106 के लिए रूपये 11,67,407/- (रूपये ग्यारह लाख सड़सठ हजार चार सौ सात मात्र) सामूहिक रूप से कुल राशि रूपये 1,26,10,837/- (रूपये एक करोड़ छब्बीस लाख दस हजार आठ सौ सैंतीस मात्र) दिनांक 31.10.2025** तक कुल देय (जिसमे शामिल मूलधन, ब्याज, पेनल्टी एवं अन्य शुल्क) सम्पूर्ण बकाया राशि के भुगतान तक भविष्य का ब्याज व शुल्क अतिरिक्त की राशि इस नोटिस की प्राप्ति की दिनांक से 60 दिनों के भीतर चुकाने के लिये कहा गया था।

ऋणी/बंधककर्ता के वह राशि लौटाने में विफल होने पर ऋणी/ बंधककर्ता एवं समान्यजन को एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) तथा सपठित उक्त नियम 8 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में एतस्मिन नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा **17 जनवरी 2026** को अधिग्रहण कर लिया है।

ऋणियों का ध्यान प्रतिभूत आस्तियों के मोचन के लिये उपलब्ध समय के सन्दर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के उपबंधों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

ऋणी/जमानतदार/बंधककर्ता को विशिष्टतया और सर्वसाधारण को सामान्यतया एतद् द्वारा सम्पत्ति के साथ व्यवहार नहीं करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्ति के साथ कोई व्यवहार के लिए **ऋण खाता संख्या 1921224922523973 के लिए रूपये 1,11,20,360/- (रूपये एक करोड़ ग्यारह लाख बीस हजार तीन सौ साठ मात्र) व ऋण खाता संख्या 9001220321056583 के लिए रूपये 7,41,658/- (रूपये सात लाख इकतालीस हजार छः सौ अट्ठावन मात्र) व ऋण खाता संख्या 9001222621124106 के लिए रूपये 11,75,030/- (रूपये ग्यारह लाख पचहत्तर हजार तीस मात्र) सामूहिक रूप से कुल राशि रूपये 1,30,37,048/- (रूपये एक करोड़ तीस लाख सैंतीस हजार अड़तालीस मात्र) दिनांक 07-जनवरी-2026** तक सम्पूर्ण बकाया राशि के भुगतान तक भविष्य का ब्याज व शुल्क अतिरिक्त की राशि एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा।

स्थावर सम्पत्ति का विवरण

1. सम्पत्ति के सभी अभिन्न अंग, स्थित पट्टा नं. 6857 (खसरा नं. 727) के लिए आवासिय सम्पत्ति **एरिया = 77X35 = 2695.00 वर्ग फीट,** स्थित ग्राम सुकेत, तहसील रामगंज मंडी, जिला कोटा, राजस्थान, जो कि **श्री मोहम्मद याकीन** के स्वामित्व में है।
पूर्व : स्वयं का मकान | पश्चिम : सड़क
उत्तर : कहकशन का मकान | दक्षिण : जाफर उल्लाह का मकान
2. सम्पत्ति के सभी अभिन्न अंग, स्थित पट्टा नं. 6856 (खसरा नं. 727) के लिए आवासिय सम्पत्ति **एरिया = 77X35 = 2695.00 वर्ग फीट,** स्थित ग्राम सुकेत, तहसील रामगंज मंडी, जिला कोटा, राजस्थान, जो कि **श्रीमती कहकशन** के स्वामित्व में है।
पूर्व : स्वयं का मकान | पश्चिम : सड़क
उत्तर : मकसूद का मकान | दक्षिण : मोहम्मद याकीन का मकान
3. सम्पत्ति के सभी अभिन्न अंग, स्थित पट्टा नं. 23400 (खसरा नं. 566) के लिए आवासिय सम्पत्ति **एरिया = 35X65 = 2275.00 वर्ग फीट,** स्थित ग्राम सुकेत, तहसील रामगंज मंडी, जिला कोटा, राजस्थान, जो कि **श्रीमती कहकशन** के स्वामित्व में है।
पूर्व : जब्बार व रफीक का मकान | पश्चिम : सड़क
उत्तर : सोकत ड्राइवर का मकान | दक्षिण : मोहम्मद याकीन का मकान
4. सम्पत्ति के सभी अभिन्न अंग, स्थित पट्टा नं. 23399 (खसरा नं. 566) के लिए आवासिय सम्पत्ति **एरिया = 35X65 = 2275.00 वर्ग फीट,** स्थित ग्राम सुकेत, तहसील रामगंज मंडी, जिला कोटा, राजस्थान, जो कि **श्री मोहम्मद याकीन** के स्वामित्व में है।
पूर्व : जब्बार व रफीक का मकान | पश्चिम : सड़क
उत्तर : कहकशन का मकान | दक्षिण : जाफर उल्लाह का मकान

दिनांक: 17 जनवरी 2026 — **प्राधिकृत अधिकारी**
स्थान : कोटा, राजस्थान — **एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड**

नाम परिवर्तन
मैंने अपना पुराना नाम तस्नीम से बदलकर नया नाम तस्नीम रंगवाला रख लिया है। भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना पहचाना जावे।
पता-तस्नीम रंगवाला पुत्री मुस्तनसिर त्रिवेदी रोड बोहरा मोहल्ला कुशलगढ़ बांसवाड़ा

नाम परिवर्तन
यह कि हम 1. रियाज मोहम्मद (पिता) 2. आमना बी अन्सारी हमने अपनी पुत्री का पुराना नाम नाशिता से बदलकर नया नाम नाशिता अन्सारी रख दिया है। भविष्य में हमारी पुत्री को इसी नाम से जाना पहचाना जावे।
पता-नाशिता अन्सारी पुत्री रियाज मोहम्मद, 170, सुभाष नगर-II नियर स्टोन मन्डी अनन्तपुरा, कोटा

नाम परिवर्तन
मैं अपना पुराना नाम (फरीदा) से बदलकर (फरीदा बानो) रख लिया है। मुझे भविष्य मे (फरीदा बानो) पत्नी मो. रसूल के नाम जाना पहचाना जाये।
पता-गली नं.08 संजय नगर भीमगंजमण्डी कोटा (ज.)

NAME CHANGE
I HAVE CHANGED MY OLD NAME (ASMA) TO (ASMA ABID, KNOWN IN FUTURE BY THIS NAME (ASMA ABID DIO ABID NOOR PATHAN)
R/O: 12, SHAKTI ENCLAVE, KOTA JUNCTION.

राजस्थान सरकार
कार्यालय सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग कोटा खण्ड कोटा
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17 के अधीन
नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर 23/2026
(नाम वर्णन तथा निवास स्थान)

श्री रामकिशन वैष्णव पुत्र स्व. श्री धन्नालाल ग्राम गुलखेडी तहसील छीपाबडौद जिला बारां द्वारा राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17 (2) के अन्तर्गत प्रन्यास ''मन्दिर श्री राधावल्लभ जी'' ग्राम गुलखेडी तहसील छीपाबडौद जिला बारां के सम्बन्ध में पंजीयन हेतु जांच किये जाने के लिये आवेदन-पत्र दिया है।

अतएव धारा 18 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिये, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से 60 दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां यदि कोई हो प्रस्तुत करें।

और सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां प्रस्तुत नहीं की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित प्रक्रिया अनुसार निर्णित किया जायेगा तथा जांच प्रपत्र मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जायेगा।

आज दिनांक 16.01.2026 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय की मोहर के अधीन जारी किया गया। प्रकरण में आगामी सुनवाई की दिनांक 19.03.2026 है।

सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग कोटा

राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड
कालीसिंध थर्मल पॉवर प्रोजेक्ट, झालावाड़ (राज.)

विज्ञप्ति

कालीसिंध तापीय विद्युत परियोजना हेतु पूर्णतः संविदा (कॉन्ट्रेक्ट) पर 1 वर्ष की अवधि हेतु एक MBBS योग्यताधारी निजी या सेवानिवृत चिकित्सक की आवश्यकता है (महिला को प्राथमिकता)। इच्छुक आवेदक स्वप्रमाणित दस्तावेजों सहित 31.01.2026 तक अधोहस्ताक्षरकर्ता को आवेदन प्रस्तुत कर सकते है। मानदेय नेगोशिएबल होगा एवं निःशुल्क आवास की सुविधा प्रदान की जायेगी।

राज.संवाद/सी/25/17835 | RVUN/PR-4326 | मुख्य अभियन्ता (KaTPP)

कार्यालय नगर पालिका छबडा जिला बारां

क्रमांक-न.पा.छ./2026/7245 | **आपत्ति आमंत्रण सूचना** | दिनांक-16.01.2026

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि निम्न व्यक्ति द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 ''क'' की उपधारा (B) के अधीन स्थानीय प्राधिकरण के न्यायधीश रखी गयी भूमि का नियमितिकरण और आवंटन हेतु अधिसूचना क्रमांक एफ 3 (50) युडीएच/3/2012 मई 31.2012 के आध्याय 3 के बिन्दु सं. 16 के प्रावधानों के अन्तर्गत राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा एवं आवंटन) नियम 2012 के नियम 2012 के 22 अन्तर्गत नियमितिकरण/आवंटन हेतु आवेदन पत्र पेश किया गया है यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो मय दस्तावेज प्रमाण के 07 दिवस की अवधि में इस कार्यालय में लिखित रूप से प्रस्तुत कर दे। समयावधि गुजरने के बाद कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।

क्र.सं.	आवेदक/हितबद्ध व्यक्ति का नाम	खसरा सं	स्थान/कॉलोनी का नाम	भूखण्ड सं.	क्षेत्रफल वर्गफीट
1	श्री दिनेश कुमार पुत्र नागर श्री चौथमल नागर जाति धाकड निवासी ग्राम कडैयाबन तह. छबडा जिला बारां	152	वैभव-लक्ष्मी नगर छबड़ा	54	20x40 =800

नोट- उक्त भूखण्ड अनुमोदित योजना के ले-आउट प्लान की सीमा से बाहर व मास्टर प्लान 2023 में दर्शित भू-उपयोग से भिन्न होने की स्थिति में पत्रावली निरस्त कर दी जावेगी।

अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका छबडा

ग्राम पंचायत मंडिता पंचायत समिति सांगोद, कोटा
क्रमांक : 2025-26/08 | **निविदा सूचना 01/2025-26** | दिनांक : 19.01.2026
NIB Code : ZKT2526A0139 | UBN : ZKT2526WSOB0075
ग्राम पंचायत मंडिता में एक निर्माण कार्य हेतु इच्छुक निविदादाताओं से दिनांक 19.01.2026 से 25.01.2026 सायं 6 बजे तक निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा से संबंधित शर्तें एवं अन्य विवरण वेबसाईट http://sppp.rajasthan.gov.in व www.eproc.rajasthan.gov.in एवं कार्यालय समय पर विजिट कर प्राप्त किये जा सकते है।
ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत मंडिता — प्रशासक, ग्राम पंचायत मंडिता

ग्राम पंचायत कुन्दनपुर पंचायत समिति सांगोद, कोटा
क्रमांक : 2025-26/114 | **निविदा सूचना 01/2025-26** | दिनांक : 19.01.2026
NIB Code : ZKT2526A0138 | UBN : ZKT2526WSOB00752
ग्राम पंचायत कुन्दनपुर में एक निर्माण कार्य हेतु इच्छुक निविदादाताओं से दिनांक 19.01.2026 से 25.01.2026 सायं 6 बजे तक निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा से संबंधित शर्तें एवं अन्य विवरण वेबसाईट http://sppp.rajasthan.gov.in व www.eproc.rajasthan.gov.in एवं कार्यालय समय पर विजिट कर प्राप्त किये जा सकते है।
ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत कुन्दनपुर — प्रशासक, ग्राम पंचायत कुन्दनपुर

ग्राम पंचायत बास्याहेड़ी पंचायत समिति सांगोद, कोटा
क्रमांक : 2025-26/112 | **निविदा सूचना 01/2025-26** | दिनांक : 19.01.2026
NIB Code : ZKT2526A0140 | UBN : ZKT2526WSOB00754
ग्राम पंचायत बास्याहेड़ी में एक निर्माण कार्य हेतु इच्छुक निविदादाताओं से दिनांक 19.01.2026 से 25.01.2026 सायं 6 बजे तक निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा से संबंधित शर्तें एवं अन्य विवरण वेबसाईट http://sppp.rajasthan.gov.in व www.eproc.rajasthan.gov.in एवं कार्यालय समय पर विजिट कर प्राप्त किये जा सकते है।
ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत बास्याहेड़ी — प्रशासक, ग्राम पंचायत बास्याहेड़ी

RIICO GROW WITH RAJASTHAN | राजस्थान सरकार का उपक्रम | RISING RAJASTHAN REPLETE • RESPONSIBLE • READY

औद्योगिक विकास के खुल रहे नये द्वार आप भी बनें भागीदार

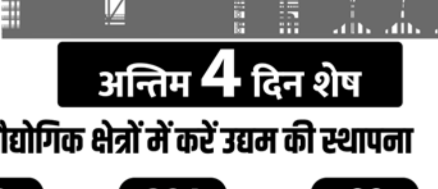

सरल ई-नीलामी के माध्यम से आवंटन

अन्तिम 4 दिन शेष

आधारभूत सुविधाओं युक्त औद्योगिक क्षेत्रों में करें उद्यम की स्थापना

65 कुल औद्योगिक क्षेत्र | 313 कुल भूखण्ड | 304 औद्योगिक भूखण्ड | 09 लॉजिस्टिक भूखण्ड

उपरोक्त औद्योगिक क्षेत्रों पर प्रत्यक्ष आवंटन योजना-2025 लागू नहीं है

ईएमडी अंतिम तिथि: 23 जनवरी, 2026 (सायं 06:00 बजे)
ऑनलाईन बिड प्रारम्भ तिथि: 27 जनवरी, 2026 (प्रात: 10:00 बजे) अंतिम तिथि: 29 जनवरी, 2026 (सायं 05:00 बजे)

31	आबू रोड़	03	चूरू	33	नागौर	08	उदयपुर
38	अजमेर	08	बीकानेर	07	पाली	03	जयपुर (दक्षिण)
05	अलवर	14	श्रीगंगानगर	24	झालावाड़	02	जयपुर (उत्तर)
08	भिवाड़ी-I	16	किशनगढ़	01	जालोर	25	ईपीआईपी सीतापुरा, जयपुर
19	भिवाड़ी-II	13	भीलवाड़ा	13	राजसमंद	02	जोधपुर
07	बोरानाडा	01	जयपुर (ग्रामीण)	20	कोटा	03	सवाईमाधोपुर
05	घिलोठ	01	सीकर	03	नीमराना		

*25% भुगतान के बाद, शेष 75% भुगतान 11 किश्तों में 8.5% ब्याज के साथ या 120 दिनों के भीतर ब्याज रहित भुगतान
या
रीको की टर्म लोन स्कीम के तहत भूमि की लागत का 75% तक का ऋण 5 साल की पुनर्भुगतान अवधि एवं 8.5% ब्याज के साथ
*केवल औद्योगिक भूखण्डों के लिए

आवेदन के लिए QR कोड स्कैन करें

राज.संवाद/सी/25/17913

राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रियल डवलपमेन्ट एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड
उद्योग भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर-302005
ई-नीलामी हैल्पलाइन नं. 0141-4593250, 4593237, व्हाट्सएप: +91 9001306515, ई-मेल: riico@riico.co.in
आवंटन से सम्बंधित नियमों एवं शर्तें, ईएमडी विवरण, रजिस्ट्रेशन एवं भूखण्ड से सम्बंधित जानकारी के लिए देखें
https://riico. rajasthan.gov.in या https://www.riico.co.in